न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, मनसुख राम डामोर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 85/2019 (वाद)
दायर दिनांक – 14/11/2019
निर्णय दिनांक – 17/03/2021

अनवान

1. रतनलाल पिता घीसा जाति भील निवासी धनेरियागढ तहसील रेलमगरा
2. शंकरलाल पिता घीसा जाति भील निवासी धनेरियागढ तहसील रेलमगरा
3. पुरण पिता घीसा जाति भील निवासी धनेरियागढ तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. नोली पुत्री टेका जाति भील निवासी मेडीखेडा तहसील रेलमगरा
2. मुली पुत्री टेका जाति भील निवासी मेडीखेडा तहसील रेलमगरा
3. खमानी पुत्री टेका जाति भील निवासी मेडीखेडा तहसील रेलमगरा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 53 एवं 188 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम चराणा में आराजी सख्या 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 2957/500 कुल किता 10 रकबा 15 बिघा 02 बिस्वा भूमिंया स्थित है वादपत्र की कालम सख्या 01 में वर्णित भूमियां वादीगण की मां एवं प्रतिवादीगण सख्या 01, 02, 03 को अपने पिता टेका से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई । टेका की मृत्यु आज से करीब 40 वर्ष पुर्व हुई । टेका की मृत्यु के उपरान्त राजस्व विभाग द्वारा त्रुटीपुर्ण अंकन के रूप में डाली बेवा टेका के नाम पर नामान्तरकरण निर्णित कर दिया गया । डाली की मृत्यु भी वर्ष 2004 में हो चुकी है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 02 उपनियम 02 के तहत अनुसूचित जनजाति पर लागु नहीं होता है। जिससे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर टेका की मृत्यु के समय टेका की चारो पुत्रियों को समान रूप से

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उत्तराधिकार में वादीगण की माता को 1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ एंव प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 को भी 1/4 हिस्सा प्रत्येक को प्राप्त हुआ । डाली बाई की मृत्यु के पश्चात् वादीगण की माता बदामी बाई की मृत्यु वर्ष 2006 में हो चुकी थी। टेका की मृत्यु होते ही टेका की सम्पुर्ण भूमियों में वादीगण की माता बदामी बाई को 1/4 हिस्सा प्राप्त हो चुका था। लेकिन डाली से नामान्तरकरण संख्या 1394 निर्णित हुआ उससे पुर्व बदामी की मृत्यु हो चुकी थी । इस कारण डाली की तीन जिवित पुत्रियों को ही सजने में दर्शाया गया जबकि टेका की मृत्यु होते ही टेका की चारो पुत्रियों को समान खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी डाली को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि सिड्युल ट्राईब में पत्नि को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है विधि द्वारा विवर्जित है । टेका की मृत्यु होते ही चारो पुत्रियों को समान रूप से 1/4 हिस्सा प्राप्त हो चुका था । एवं डाली के मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी सख्या 01 ,02, 03 के नाम पर जब नामान्तरकरण निर्णित हुआ उस समय वादीगण की माता बदामी की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण बदामी का सजरे में नाम दर्शाया गया है। डाली द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत भी की हो तो वादीगण के मुकाबले वह रद्ध, शुन्य व बेअसर है। वादीगण ने आपसी स्नेहपुर्वक अब तक संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमियों का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। सहखातेदारी में विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि सयुंक्त खातेदारी की भुमि जब तक विभाजन नहीं हो जाती है तब तक प्रत्येक सहखातेदार का आधिपत्य माना जाता है एवं प्रतिकुल कब्जे का सिद्धान्त लागु नहीं होता है। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03 ने वादग्रस्त भूमियों का विक्रय इकरार किसी अज्ञात व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया हैं। एवं विक्रय करने पर आमादा है जिससे वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया हे कि वादग्रस्त भूमियों में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराये जाने के लिए उक्त वादपत्र प्रस्तुत है एवं उक्त वाद में घोषणा के साथ ही विभाजन का भी अनुतोष मांगा जा रहा है। वादीगण को प्रतिवादी सख्या 01, 02 के द्वारा वादग्रस्त भूमियों का विक्रय इकरार करने का पता चला जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी सख्यां 01, 02, 03 को वादग्रस्त भूमियों में वादीगण का 1/4 हिस्से के हिसाब से खोतेदारी अधिकारी दर्ज कराने के लिए व विभाजन के लिए कहां गया तो प्रतिवादी सख्या 01, 02, 03 ने दिनांक 03/10/2019 को इन्कार कर दिया गया । जिससे वादीगण का वाद हेतुक दिनांक 03/10/2019 को बमुकाम चराणा उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। घोषणा के मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में किसी प्रकार की अवधि अधिनियम बाधित नहीं है जिससे कभी भी घोषणा का वाद लाया जा रहा है । वादीगण ने प्रथम बार प्रतिवादीगण को दिनांक 03/10/2019 को वादीगण के

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

नाम पर भूमियां अंकन कराने व विभाजन के लिए कहां गया तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया गया जिससे वाद हेतुक उत्पन्न होने से भी अन्दर अवधि वादपत्र प्रस्तुत है। वादपत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा फरमाई जावे एवं घोषणा के साथ ही वादग्रस्त भूमियों का विभाजन कराया जाकर वादीगण को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एंव राजस्व अभिलेख में स्वतंत्र अंकन कराया जावे। वादग्रस्त भूमियों का विभाजन मिट्स एवं बोड्स पद्धति के आधार पर कराया जावे। उक्त वाद में विभाजन की भी सहायता चाही गई है जिससे भूमिधारक को पक्षकार बनाना आवश्यक है । आवश्यक पक्षकार के रूप में भूमिधारक को प्रतिवादी बनाया गया है अन्यथा भूमिधारक के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। भुमियों के विकास के लिए विभाजन अत्यन्त आवश्यक है बिना विभाजन के भूमियों का विकास सम्भव नहीं है। जिससे वादग्रस्त भूमियों का विभाजन कराया जाकर वादीगण को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावें एंव स्वतंत्र अंकन कराया जावे। वादग्रस्त भुमियों में विभाजन के पश्चात् वादीगण को स्वतंत्र आधिपत्य व स्वतंत्र अंकन में प्राप्त होने वाली भूमियों में प्रतिवादीगण अथवा दोराने वाद विक्रय कर दे तो क्रेतागण किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करे इस बात की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावें। प्रार्थना वादपत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावें साथ ही वादग्रस्त भूमियों का विभाजन कराया जाकर वादीगण को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावें। राजस्व अभिलेख में स्वतंत्र अंकन कराया जावे। वादग्रस्त भूमियों में स्वतंत्र अंकन व स्वतंत्र आधिपत्य में प्राप्त होने वाली भूमियों में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावें। वादीगण के हिस्से की भूमियों में किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से प्रत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तथा प्रतिवादी संख्या 04 पेरोकार सरकार ने जवाब पेश नही करना चाहा। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 शंकरलाल पिता घीसा जाति भील, के शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य नक्शे की प्रति प्रदर्श–01 जमाबन्दी की नकले प्रदर्श–02 से लगायत 07 तक, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–08 व 09 के प्रस्तुत किये गये।

अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तो जाहिर आया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति ना होकर वादीगण की माता के पिता अर्थात् नानाजी की सम्पत्ति है तथा वादीगण की माता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि वादीगण की माता की पैतृक सम्पत्ति होकर वादीगण की माता को उक्त वादग्रस्त भूमि की घोषणा कराने का अधिकार है जबकि वादीगण की माता की मृत्यु हो चुकी है जिससे वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति नही होने से वादीगण को वादग्रस्त भूमि में घोषणा कराये जाने का कोई अधिकार कानून निहीत नही है। जिससे वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वादपत्र सिद्व करने में असफल रहे है।

अतः वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वादपत्र सिद्व करने में असफल रहने से वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा